

प्रारूप - 3

भाग - 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

1. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति-
 - (क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उत्तराखण्ड
 - (ख) जिला देहरादून
 - (ग) जिला वन प्रभाग चक्राला वन प्रभाग (देवघर रेंज त्सी)
 - (घ) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र
2. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।
3. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा-
 - (क) वन का प्रकार आरक्षित वन भूमि 0.054 हे०
 - (ख) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व
 - (ग) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना लोग नही
 - (घ) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा लोग नही
4. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लोग नही
5. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी। लोग नही
6. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता। लोग नही
 - (क) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा। लोग नही
 - (ख) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव उत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)। लोग नही
 - (ग) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि०मी० के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)। लोग नही
 - (घ) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि०मी० के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)। लोग नही
 - (ङ) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग-या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि है, तो उसके ब्यौरे। लोग नही
7. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है, तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दे) लोग नही
8. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें-
 - (क) क्या भाग-1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है, और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। लोग नही
 - (ख) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग किया जा सकता है। लोग नही
9. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे-
 - (क) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शन सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं) नही
 - (ख) यदि हां, की गई कार्य अवधि अतिक्रमण में अंतर्बलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही।
 - (ग) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं) नही
10. क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के ब्यौरे-
 - (क) क्षतिपूर्क वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।

(ड) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय—

(च) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय-
उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न है (हां/नहीं) ☒ हां ☐ नहीं

11. वास्तु और जीव जंतु पर प्रस्तावित किया कलाओं के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रका. 1 में लाने वाले उप यन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं) हाँ

12. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप यन संरक्षक को लाने वाले उप यन संरक्षक

[illegible]

दिनांक 16-7-2019 स्थान

~~मिचल~~

हस्ताक्षर

प्रभागीय वनाधिकारी

युवसता वन प्रभाग

नाम

अधिशारी अभियन्ता

आधशासी अभियन्ता
विर्माण शास्त्रा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम
बया बकरगुला (पुरोही)

उप-प्रभागीय मन्त्रालय

पुनरागत नित नमः
शाली